कार्यालय आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(दूरभाष क्रमांक – 0788–2321800, 2321804, email – durgcomm11@gmail.com)

//आदेश//

क्रमांक/112/आयुक्त/स्थापना/2026 दुर्ग, दिनांक 01/06/2026

कलेक्टर, जिला दुर्ग के पत्र क्रमांक/3409/स्था/2026 दिनांक 30.05.2026 के द्वारा श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग के द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं अशिष्ट व्यवहार किए जाने के कारण निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

कलेक्टर जिला दुर्ग से प्राप्त प्रस्ताव एवं शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार के तहत् ग्राम थनौद में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा आम जनता से अशिष्ट व्यवहार संबंधी वीडियो क्लिप के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग के द्वारा शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार एवं शिविर में कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं आम जनता से अशिष्टतापूर्वक व्यवहार किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1578/आयुक्त/स्थापना/2026 दिनांक 30 मई, 2026 द्वारा श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके संदर्भ में श्री पाण्डेय के द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नही है।

छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत्

(1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही :

(एक) पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा;

(दो) कर्तव्यपरायण रहेगा; और

(तीन) ऐसा कोई भी कार्य नही करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो एवं

नियम 3–क के खण्ड (क) के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नही करेगा, उपबंधित है।

व्याख्या – लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन तन्त्र आम नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप प्रत्येक लोक सेवक द्वारा, आम नागरिकों से शिष्ट व्यवहार को, आचरण संहिता का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2007/1–3 दिनांक 04 अगस्त, 2008 के द्वारा समस्त संभागीय आयुक्तों को उनके अपने–अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागो के द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से भिन्न) शासकीय सेवकों के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है।

Scanned with OKEN Scanner

तदनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं कदाचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कलेक्टर दुर्ग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े, प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग अपने कार्यों के साथ–साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
Satya Narayan Rathore
Date: 01-06-2026
11:29:08

आयुक्त,
दुर्ग संभाग, दुर्ग.

पृ.क्र./112/आयुक्त/स्थापना/2026 दुर्ग, दिनांक 01/06/2026

प्रतिलिपिः–

1/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ।

2/ कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) को उनके पत्र क्रमांक/3409/स्था/2026 दिनांक 30.05.2026 के तारतम्य में सूचनार्थ।

3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/ श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े, प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को पालनार्थ।

6/ जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ।

7/ श्री रूपेश कुमार पाण्डेय, (निलंबित) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग (छ.ग.) को पालनार्थ।